अनुदान संख्या 46 - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
GRANT No. 46 - DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	99382,66,00	99382,77,00	93534,56,40	-5848,20,60
पूरक	Supplementary	11,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				5774,40,40
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	5300,34,00	5300,40,00	2026,45,19	-3273,94,81
पूरक	Supplementary	6,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				3217,97,04

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुए :–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष “2251”	Major Head “2251”				
सचिवालय – सामाजिक सेवाएं	Secretariat - Social Services				
मू.	O.	26240.00	21198.44	19782.26	-1416.18
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	-5042.56			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2071"	Major Head "2071"				
पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	Pensions and Other Retirement Benefits				
मू.	O.	384619.00			
पू.	S.	1.00	428272.38	428272.38	..
पु.	R.	43652.38			
मुख्य शीर्ष "2210"	Major Head "2210"				
चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	Medical and Public Health				
मू.	O.	4178867.00			
पू.	S.	2.00	4094187.40	4089856.12	-4331.28
पु.	R.	-84681.60			
मुख्य शीर्ष "2211"	Major Head "2211"				
परिवार कल्याण	Family Welfare				
मू.	O.	325305.00			
पू.	S.	2.00	483465.72	481832.97	-1632.75
पु.	R.	158158.72			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	781587.00			
पू.	S.	2.00	..	..	..
पु.	R.	-781589.00			

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत– Saving -
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments					
मू.	O.	4115492.00				
पू.	S.	2.00		4196740.51	4196740.51	..
पु.	R.	81246.51				
मुख्य शीर्ष "3602" विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature					
मू.	O.	125358.00				
				115801.11	115801.12	+ 0.01
पु.	R.	-9556.89				
मुख्य शीर्ष "3606" सहायता सामग्री और उपकरण	Major Head "3606" Aid Materials and Equipments					
मू.	O.	500.00				
पू.	S.	1.00		21131.05	21131.05	..
पु.	R.	20630.05				

(I) उनचास शीर्षों के अंतर्गत ₹786983.02 लाख का प्रावधान (दिसम्बर, 2023 और फ़रवरी, 2024 में प्राप्त किए गए ₹2.50 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा जिसमें से ₹784595.50 लाख का प्रावधान निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबध थे:–

(I) Provision of ₹786983.02 lakhs (including token supplementary grant of ₹2.50 lakhs obtained in December, 2023 and February, 2024) remained wholly unutilized under forty nine heads; of these ₹784595.50 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2210" – "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान" –

(क) "एलोपैथी – स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन" – ₹3740.50 लाख (₹0.50 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण।

(ख) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन" – ₹830.00 लाख राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से व्यवहार्य प्रस्ताव नहीं मिल पाने और कार्यान्वयन कर्ता अभिकर्णों से उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हो पाने और लेह में मेडिकल कालेज में एम. बी. बी. एस. की सीटों में कटौती किए जाने के कारण।

(खा) मुख्य शीर्ष "2552" –

(क) "परिवार कल्याण – निदेशन और प्रशासन" –

(i) "क्षेत्रीय स्वास्थ्य कार्यालय" – ₹645.50 लाख (₹0.50 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(ii) "अवसंरचना रखरखाव" – ₹20604.00 लाख;

(ख) "परिवार कल्याण – प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम – आर. सी. एच. और स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और शहरी स्वास्थ्य मिशन" – ₹162328.00 लाख (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(ग) "शहरी स्वास्थ्य सेवायें – एलोपैथी – केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना – डिस्पेंसरियों और औषधालयों की स्थापना" – ₹5179.00 लाख;

(A) Major Head "2210" - "Medical Education, Training and Research" -

(a) "Allopathy - Human Resources for Health and Medical Education" - ₹3740.50 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.50 lakh) - due to non-receipt of proposals from State/UT Governments.

(b) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Human Resources for Health and Medical Education" - ₹830.00 lakhs - due to non-receipt of viable proposals from the State/UT Governments and utilisation certificates from implementing agencies and reduction of MBBS seats in Medical College at Leh.

(B) Major Head "2552" -

(a) "Family Welfare - Direction and Administration" -

(i) "Regional Health Offices" - ₹645.50 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.50 lakh);

(ii) "Infrastructure Maintenance" - ₹20604.00 lakhs;

(b) "Family Welfare - Reproductive and Child Health Programme - Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening National Health Programme and Urban Health Mission" - ₹162328.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh);

(c) "Urban Health Services - Allopathy - Central Government Health Scheme - Setting up of Dispensaries and Hospitals" - ₹5179.00 lakhs;

(घ) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान – एलोपैथी" –

(i) "पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान संस्थान, शिलांग" – ₹52883.00 लाख;

(ii) "क्षेत्रीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, इम्फ़ाल" – ₹62916.00 लाख;

(iii) "लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य (एल. जी. बी. आर. आई. एम. एच) तेजपुर" – ₹6366.00 लाख;

(iv) "रीजनल इंस्टीट्यूट आफ़ पैरा मेडिकल एंड नर्सिंग साइंसेज (आर. आई. पी. ए. एन. एस.), आइजोल" – ₹12504.00 लाख;

(v) "स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन" – ₹48620.50 लाख;

(vi) "नए एम्स के स्थापना संबंधी व्यय" – ₹9500.00 लाख;

(ड) "जन स्वास्थ्य रोग निवारण और रोकथाम" –

(i) "राष्ट्रीय एड्स और एस. टी. डी. नियंत्रण कार्यक्रम" – ₹30091.00 लाख;

(ii) "प्रधान मंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पी. एम. – ए. बी. एच. आई. एम.)" – ₹49890.00 लाख;

(iii) "राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम" – ₹1306.00लाख;

(d) "Medical Education, Training and Research Allopathy" -

(i) "North-Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health & Medical Sciences, Shillong" - ₹52883.00 lakhs;

(ii) "Regional Institute of Medical Sciences, Imphal" - ₹62916.00 lakhs;

(iii) "Lokopriya Gopinath Bordoloi Regional Institute of Mental Health (LGBRIMH), Tejpur" - ₹6366.00 lakhs;

(iv) "Regional Institute of Paramedical & Nursing Sciences (RIPANS), Aizawl" - ₹12504.00 lakhs;

(v) "Human Resources for Health & Medical Education" - ₹48620.50 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.50 lakh);

(vi) "Establishment Expenditure of New AIIMS" - ₹9500.00 lakhs;

(e) "Public Health - Prevention and Control of Diseases" -

(i) "National AIDS and STD Control Programme" - ₹30091.00 lakhs;

(ii) "Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission (PM-ABHIM)" - ₹49890.00 lakhs;

(iii) "National Tele Mental Health Programme" - ₹1306.00 lakhs;

(च) "जन स्वास्थ्य – अन्य व्यय" –

(i) "राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदय वाहिका रोग और आघात निवरण और नियंत्रण कार्यक्रम" – ₹804.00 लाख;

(ii) "आयुष्मान भारत – प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (पी. एम. जे. ए. वाई.) – राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एन. आई. एफ.)" – ₹48411.00 लाख;

(छ) "अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना" –

(i) "अवसंरचना रखरखाव" – ₹5335.00 लाख;

(ii) "आर. सी. एच. और स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण के लिए फ़्लैक्सी पूल – राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और शहरी स्वास्थ्य मिशन" – ₹14202.00 लाख;

(iii) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान – एलोपैथी" – ₹10790.00 लाख;

(iv) "आयुष्मान भारत – प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (पी. एम. जे. ए. वाई.) – राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण" – ₹14872.00 लाख;

(ज) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना" –

(i) "आर. सी. एच. और स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण के लिए फ़्लैक्सी पूल, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और शहरी स्वास्थ्य मिशन" – ₹63910.00 लाख;

(ii) "अवसंरचना रखरखाव" – ₹7541.00 लाख;

(f) "Public Health - Other Expenditure" -

(i) "National Programme for Prevention and Control of Cancer, Diabetes, Cardiovascular Diseases & Stroke" - ₹804.00 lakhs;

(ii) "Ayushman Bharat - Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PMJAY) - National Health Authority (NIF)" - ₹48411.00 lakhs;

(g) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(i) "Infrastructure Maintenance" - ₹5355.00 lakhs;

(ii) "Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission" - ₹14202.00 lakhs;

(iii) "Medical Education, Training and Research Allopathy" - ₹10790.00 lakhs;

(iv) "Ayushman Bharat - Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PMJAY) - National Health Authority" - ₹14872.00 lakhs;

(h) "Tribal Area Sub - Plan" -

(i) "Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission" - ₹63910.00 lakhs;

(ii) "Infrastructure Maintenance" - ₹7541.00 lakhs;

(iii) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान – एलोपैथी" – ₹5590.00 लाख;

(iv) "आयुष्मान भारत – प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (पी. एम. जे. ए. वाई.) – राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण" – ₹8717.00 लाख;

(झ) "आरक्षी निधियों/जमा लेखाओं को अंतरण – प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि में अंतरण (पी. एम. एस. एस. एन.)" – ₹137000.00 लाख।

उपर्युक्त चौबीस शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया प्रावधान उत्तर पूर्व क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों को पुनर्विनियोग किए जाने और शेष राशि को अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "2251" – "सचिवालय – स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग" – ₹6453.74 लाख की बचत (दिसम्बर, 2023 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹26236.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को नहीं भरे जाने, कम संख्या में चिकित्सा दावे और यात्रा संबंधी दावे किए जाने, कार्यालय उपकरणों की कम संख्या में खरीद किए जाने, कम संख्या में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2210" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के तहत हुईः–

(का) "शहरी स्वास्थ्य सेवायें – एलोपैथी" –

(क) "निदेशन और प्रशासन" –

(i) "स्वास्थ्य सेवायें महानिदेशालय" – ₹1768.43 लाख की बचत (फ़रवरी, 2024 में प्राप्त किए गए ₹0.06 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹8021.06 लाख के कुल स्वीकृत

(iii) "Medical Education, Training and Research Allopathy" - ₹5590.00 lakhs;

(iv) "Ayushman Bharat - Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PMJAY) - National Health Authority" - ₹8717.00 lakhs; and

(i) "Transfer to Reserve Fund/Deposit Account - Funds for transfer to Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Nidhi (PMSSN)" - ₹137000.00 lakhs.

Provisions under the above twenty four heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head "2251" - "Secretariat - Department of Health & Family Welfare" - saving of ₹6453.74 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹26236.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in December, 2023) was due to non-filling up of vacant posts, less medical and tour claims, less procurement of office equipments, conduction of less trainings and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(III) Under Major Head "2210" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Urban Health Services - Allopathy" -

(a) "Direction and Administration" -

(i) "Directorate General of Health Services" - saving of ₹1768.43 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹8021.06 lakhs including token

प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को नहीं भरे जाने, कम संख्या में संविदा कर्मचारियों को रखने, कार्यालय उपकरणों की कम संख्य में खरीद किए जाने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति के कम संख्या में दावे प्राप्त होने और रखरखाव संबंधी कार्यों के लिए कम व्यय होने के कारण हुई।

(ii) "राष्ट्रीय स्वास्थ्य पुस्तकालय" – ₹1916.82 लाख की बचत (₹4788.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को नहीं भरे जाने, कम संख्या में संविदा कर्मचारियों को रखने, कम संख्या में दस्तावेजों की छपाई होने, कम संख्या में चिकित्सा संबंधी दावे प्राप्त होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संश्धित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ख) "केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना – डिस्पेंसरियों / औषधालयों की स्थापना" – ₹29314.47 लाख की बचत (₹208615.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भरती प्रक्रिया को अंतिम रूप नहीं दिए जाने, कम संख्या में संविदा कर्मचारियों को रखने, कार्यालय उपकरणों और पेरिफ़ेरलों की खरीद नहीं किए जाने, चिकित्सा दावों और आपूर्ति और सामग्री संबंधी बिल प्रस्तुत नहीं किए जाने, कम संख्या में यात्रायें किए जाने, रखरखाव संबंधी कार्यों पर कम राशि खर्च किए जाने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ग) "चिकित्सा भंडार विभाग" –

(i) "डिपो" – ₹1581.96 लाख की बचत (फ़रवरी, 2024 में प्राप्त किए गए ₹0.09 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹6646.09 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पदों को नहीं भरे जाने, कम संख्या में संविदा कर्मचारियों को रखने, कार्यालय उपकरणों और पेरिफ़ेरलों की कम संख्या में खरीद किए

supplementary grant of ₹0.06 lakh obtained in February, 2024) was due to non-filling up of vacant posts, hiring of less contractual staff, less procurement of office equipment and peripherals, receipt of less medical claims and less maintenance related works.

(ii) "National Medical Library" - saving of ₹1916.82 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4758.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, hiring of less contractual staff, less printing of documents, receipt of less medical claims and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(b) "Central Government Health Scheme - Setting up of Dispensaries/Hospitals" - saving of ₹29314.47 lakhs (against the sanctioned provision of ₹208615.00 lakhs) was due to non-finalisation of recruitment procedure, hiring of less contractual staff, non-procurement of office equipment and peripherals, non-submission of medical claims and bill relating to supply and material, less tours undertaken, less maintenance related works and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(c) "Medical Stores Depot" -

(i) "Depots" - saving of ₹1581.96 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹6646.09 lakhs including token supplementary grant of ₹0.09 lakh obtained in February, 2024) was due to non-filling up of vacant posts, hiring of less contractual staff, less

जाने, चिकित्सा दावों और आपूर्ति और सामग्रियों के बिल प्रस्तुत नहीं किए जाने, कम संख्या में यात्रायें किए जाने और कम संख्या में रखरखाव संबंधी कार्य किए जाने के कारण हुई।

(ii) "भारत में और विदेशों से सामग्रियों की खरीद" – ₹8227.22 लाख के बचत (₹37500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम संख्या में दवाईयाँ और आपूर्तियाँ की खरीद किए जाने के कारण हुई।

(घ) "अस्पताल और औषधालय" –

(i) "सफ़दरजंग अस्पताल, नई दिल्ली" – ₹1614.06 लाख की बचत (फ़रवरी, 2024 में प्राप्त किए गए ₹0.03 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹167194.03 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को नहीं भरे जाने, भरती प्रक्रिया को अंतिम रूप नहीं दिए जाने, चिकित्सा संबंधी जर्नलों की छपाई नहीं किए जाने, संविदा कर्मचारियों को नहीं लिए जाने, उपभोग्य वस्तुओं और दवाओं की खरीद के बिल प्रस्तुत नहीं किए जाने और सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक और नए इमरजेंसी ब्लॉक की मरम्मत और उनके रखरखाव के लिए कम राशि व्यय किए जाने के कारण हुई।

(ii) "डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली" – ₹2690.99 लाख की बचत (₹73400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(iii) "सेंट्रल इंस्टीट्यूट आफ़ साइकेट्री, रांची" – ₹543.21 लाख की बचत (₹0.03 लाख के प्राप्त किए गए सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹10789.03 लाख के कुल प्रावधान की तुलना में) हुई।

procurement of office equipment and peripherals, non submission of medical claims and bills relating to supply and material, less tour undertaken and less maintenance related works.

(ii) "Purchase of Materials in India and abroad" - saving of ₹8227.22 lakhs (against the sanctioned provision of ₹37500.00 lakhs) was due to procurement of less drugs and supplies.

(d) "Hospital and Dispensaries" -

(i) "Safdarjung Hospital, New Delhi" - saving of ₹1614.06 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹167194.03 lakhs including token supplementary grant of ₹0.03 lakh obtained in February, 2024) was due to non-filling up of vacant posts, non-finalisation of recruitment procedure, non-printing of medical journals, non-hiring of contractual staff, non-receipt of bills against procurement of consumables and drugs and less expenditure towards repair and maintenance of Super Speciality Block and New Emergency Block.

(ii) "Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi" - saving of ₹2690.99 lakhs (against the sanctioned provision of ₹73400.00 lakhs); and

(iii) "Central Institute of Psychiatry, Ranchi" - saving of ₹543.21 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹10789.03 lakhs including token supplementary grant of ₹0.03 lakh).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें रिक्त पदों को नहीं भरे जाने, कम संख्या में व्यवसायियों को रखने, कम संख्या में संविदागत स्टाफ़ को रखने, कार्यालय उपकरणों और पेरिफ़ेरलों की कम मात्रा में खरीद किए जाने, कम संख्या में चिकित्सा दावे प्राप्त होने और रखरखाव संबंधी कार्यों पर कम राशि खर्च किए जाने के कारण हुईं।

(iv) "कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली" – ₹1480.59 लाख की बचत (₹15923.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को नहीं भरे जाने, रखरखाव स्म्बंधी कार्यों पर कम राशि व्यय किए जाने और कम संख्या में संविदागत कर्मचारियों को लेने के कारण हुई।

(खा) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान – एलोपैथी" –

(क) "कैंसर अनुसंधान" – ₹5595.31 लाख की बचत (₹13516.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम संख्या में व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रस्ताव में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ख) "लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती एस. के. अस्पताल, नई दिल्ली" – ₹9548.94 लाख की बचत (फ़रवरी, 2024 में प्राप्त किए गए ₹0.03 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹65415.03 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को नहीं भरे जाने, कम संख्या में संविदागत स्टाफ़ को रखने, सी. पी. डब्ल्यू. डी. द्वारा कम मात्रा मे निधियों का उपयोग किए जाने, प्रस्तावों को मंजूरी नहीं दिए जाने और जी. ई. एम. प्रस्तावों को मूर्त रूप नहीं दिए जाने के कारण हुई।

(ग) "ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ़ स्पीच थैरेपी, मैसूर को अनुदान" – ₹4316.35 लाख की बचत (₹12504.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

Savings under the above two heads were due to non-filling up of vacant posts, hiring of less professionals, hiring of less contractual staff, less procurement of office equipment and peripherals, receipt of less medical claims and less maintenance related work.

(iv) "Kalawati Saran Children's Hospital, New Delhi" - saving of ₹1480.59 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15923.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, less maintenance related works and hiring of less contractual staff.

(B) "Medical Education, Training and Research - Allopathy" -

(a) "Cancer Research" - saving of ₹5595.31 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13516.00 lakhs) was due to receipt of less viable proposals and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(b) "Lady Hardinge Medical College & Smt. S. K. Hospital" - saving of ₹9548.94 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹65415.03 lakhs including token supplementary grant of ₹0.03 lakh obtained in February, 2024) was due to non-filling up of vacant posts, hiring of less contractual staff, less utilisation of funds by CPWD, non-approval of proposals and non-materialisation of GeM proposals.

(c) "Grants to All India Institute of Speech & Hearing, Mysore" - saving of ₹4316.35 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12504.00 lakhs); and

(घ) "रीजनल पोस्ट ग्रेजुएट सेंटर जवाहरलाल इंस्टीट्यूट आफ़ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (जे. आई. पी. एम. ई. आर.), पुड्डुचेरी" – ₹18343.00 लाख की बचत (₹149043.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें रिक्त पदों को नहीं भरे जाने, पूंजीगत निर्माण कार्यों के लिए कम मांग होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौत्ती किए जाने के कारण हुई।

(ङ) "प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पी. एम. एस. एस. वाई)" – ₹1737.84 लाख की बचत (फ़रवरी, 2024 में प्राप्त किए गए ₹0.03 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹6500.03 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को नहीं भए जाने, कम संख्या में कार्यालय उपकरणों की खरीद किए जाने, कम संख्या में व्यवसायियों को लेने और एम्स में ओपीडी और आईपीडी शुरू नहीं करने के कारण हुई।

(च) "राष्ट्रीय संबद्ध एवं स्वास्थ्य सेवा व्यावसाय आयोग" – ₹2787.50 लाख की बचत (₹3050.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों द्वारा स्वास्थ्य परिचर्या परिषद में एस. एन. ए. लेखा सृजित नहीं किए जाने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(छ) "नए एम्स की स्थापना संबंधी व्यय" – ₹16036.44 लाख की बचत (₹674000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(गा) "जन स्वास्थ्य" –

(d) "Regional Post Graduate Centre, Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education and Research (JIPMER), Puducherry" - saving of ₹18343.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹149043.00 lakhs).

Savings under the above two head were due to non-filling up of vacant posts, less demand under capital works and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(e) "Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana (PMSSY)" - saving of ₹1737.84 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹6500.03 lakhs including token supplementary grant of ₹0.03 lakh obtained in February, 2024) was due to non-filling up of vacant posts, less procurement of office equipments, less hiring of professionals and non-opening of OPD and IPD services in AIIMS.

(f) "National Commission for Allied & Health Care Professions" - saving of ₹2787.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3050.00 lakhs) was due to non-creation of SNA account by the States with Health Care Council and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(g) "Establishment Expenditure of New AIIMS" - saving of ₹16036.44 lakhs (against the sanctioned provision of ₹674000.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(C) "Public Health" -

(क) "निदेशन और प्रशासन" –

(i) "हवाई अड्डा संगठन सहित पत्तन स्वास्थ्य स्थापना" – ₹2023.89 लाख की बचत (फ़रवरी, 2024 में प्राप्त किए गए ₹0.03 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹6600.03 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को नहीं भरे जाने, कम संख्या में दौरे किए जाने, कम मात्रा में कार्यालय उपकरणों/पेरिफ़ेरलों की खरीद होने और कम संख्या में व्यवसायियों को लेने के कारण हुई।

(ii) "आर. सी. एच. और स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण के लिए फ़्लैक्सी पूल, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और शहरी स्वास्थ्य मिशन" – ₹120514.12 लाख की बचत (फ़रवरी, 2024 में प्राप्त किए गए ₹0.09 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹177761.09 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम संख्या में चिकित्सा दावे और यात्रा संबंधी दावे प्राप्त होने, कम मात्रा में प्रशासनिक व्यय होने, कम व्यवसायियों को लेने, राज्यों की राष्ट्रीय स्तरीय समीक्षा पर कम राशि व्यय होने, वाहनों को किराये पर नहीं लेने, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय वायरल हेपाटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम और राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत कम राशि का भुगतान जारी होने के कारण हुई।

(ख) "प्रशिक्षण" –

(i) "केंद्रीय कुष्ठ रोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान चेंगलपट्टू" – ₹863.55 लाख की बचत (फ़रवरी, 2024 में प्राप्त किए गए ₹0.03 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹2445.03 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को नहीं भरे जाने, कम संख्या में दौरे करने, कम संख्या में कार्यालय

(a) "Direction and Administration" -

(i) "Port Health Establishment including Airport Organisation" - saving of ₹2023.89 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹6600.03 lakhs including token supplementary grant of ₹0.03 lakh obtained in February, 2024) was due to non-filling up of vacant posts, less tours undertaken, less procurement of office equipments/peripherals and hiring of less contractual staff.

(ii) "Flexible Pool for RCH and Health System Strengthening National Health Programme and Urban Health Mission" - saving of ₹120514.12 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹177761.09 lakhs including token supplementary grant of ₹0.09 lakh obtained in February, 2024) was due to receipt of less medical and tour claims, less administrative expenses, hiring of less professionals, less expenses on National Review of States, non-hiring of vehicles and non-release of payments under National Vector Borne Disease Control Programme, National Viral Hepatitis Control Programme and National TB Elimination Programmme.

(b) "Training" -

(i) "Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu" - saving of ₹863.55 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹2445.03 lakhs including token supplementary grant of ₹0.03 lakh obtained in February, 2024) was due to

उपकरणों/पेरिफ़ेरलों की खरीद होने और कम संख्या में संविदागत स्टाफ़ को लेने के कारण हुई।

(ii) "नर्सिंग सेवाओं का विकास" – ₹1054.68 लाख की बचत (₹3341.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) किए गए व्यय पर स्पष्टीकरण नही मिल पाने के कारण भारतीय नर्सिंग परिषद को निधियों की प्रतिपूर्ति नहीं होने की वजह से हुई।

(ग) "रोग निवारण और नियंत्रण" –

(i) "राष्ट्रीय – संचारी रोग संस्थान (राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र), दिल्ली" – ₹2201.98 लाख की बचत (फ़रवरी, 2024 में प्राप्त किए गए ₹0.03 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹9219.03 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त परों को नहीं भरे जाने, कम संख्या में दौरे किए जाने, कम संख्या में कार्यालय उपकरण/पेरिफ़ेरलों की खरीद किए जाने और कम संख्या में संविदागत स्टाफ़ को लेने के कारण हुई।

(ii) "राष्ट्रीय एड्स और एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम" – ₹30260.54 लाख की बचत (₹261106.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम संख्या में व्यवसायियों को लेने, व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(iii) "राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम" – ₹925.7 लाख की बचत (₹1088.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संस्थानों से कम संख्या में व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

non-filling up of vacant posts, less tours undertaken, less procurement of office equipments/peripherals and hiring of less contractual staff.

(ii) "Development of Nursing Services" - saving of ₹1054.68 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3341.00 lakhs) was due to non-reimbursement of funds to Indian Nursing Council owing to pending clarification on expenditure incurred.

(c) "Prevention and Control of Diseases" -

(i) "National Institute of Communicable Diseases (National Centre for Disease Control), Delhi" - saving of ₹2201.98 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹9219.03 lakhs including token supplementary grant of ₹0.03 lakh obtained in February, 2024) was due to non-filling up of vacant posts, less tours undertaken, less procurement of office equipments/ peripherals and hiring of less contractual staff.

(ii) "National AIDS & STD Control Programme" - saving of ₹30260.54 lakhs (against the sanctioned provision of ₹261106.00 lakhs) was due to hiring of less professionals, non-receipt of viable proposals and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(iii) "National Mental Health Programme" - saving of ₹925.07 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1088.50 lakhs) was due to receipt of less viable proposals from institutes.

(iv) "राष्ट्रीय केंसर, मधुमेह, हृदयवाहिका रोग और आघात निवारण और नियंत्रण कार्यक्रम" – ₹602.00 लाख की बचत (₹1201.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम संख्या में व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(v) "एन. सी. डी. सी. शाखाओं की स्थापना और सुदृढीकरण और स्वास्थ्य पहल – जूनोटिक रोगों और अन्य उपेक्षित ऊष्ण कटिबंधीय रोगों की तैयारी करने और नियंत्रण के लिए अतर क्षेत्रीय समन्वयन, वायरल हेपेटाइटिस, एंटी माइक्रोबायल प्रतिरोध की निगरानी" – ₹3849.10 लाख की बचत (₹5554.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम संख्या में यात्रायें करने, कम संख्या में तुच्छ चिविल और इलेक्ट्रिच कार्य किए जाने, कम संख्या में सरकारी दस्तावेजों की छपाई होने, कम संख्या में व्यवसायियों को लेने, कम संख्या में व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन स्तर पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(vi) "प्रधान मंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पी. एम. – ए. बी. एच. आई. एम.)" – ₹40702.24 लाख की बचत (फ़रवरी, 2024 में प्राप्त किए गए ₹0.03 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹55749.03 लाख के कुल स्वीकृत अनुदान की तुलना में) रिक्त पदों को नहीं भरे जाने, कम संख्या में घरेलू दौरे किए जाने, कम संख्या में व्यवसायियों को लेने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(vii) "राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एन. टी. एम. एच. पी.)" – ₹8776.59 लाख की बचत (₹12067.00 लाख के स्वीकृत

(iv) "National Programme for Prevention and Control of Cancer, Diabetes, Cardiovascular Diseases and Stroke" - saving of ₹602.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1201.00 lakhs) was due to receipt of less viable proposals.

(v) "Establishment and strengthening of NCDC Branches and Health Initiatives-Inter Sectoral Co-ordination for preparation and control of Zoonotic Diseases and other neglected tropical diseases, surveillance of Viral Hepatitis, Anti-Microbial Resistance" - saving of ₹3849.10 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5554.00 lakhs) was due to less tours undertaken, less minor civil and electric work, printing of less official document, hiring of less professionals, receipt of less viable proposals and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(vi) "Prime Minister Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission (PM-ABHIM)" - saving of ₹40702.24 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹55749.03 lakhs including token supplementary grant of ₹0.03 lakh obtained in February, 2024) was due to non-filling up of vacant posts, less domestic tours, hiring of less professionals and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(vii) "National Tele Mental Health Programme (NTMHP)" - saving of ₹8776.59 lakhs (against the sanctioned

प्रावधान की तुलना में) केन्द्रीय नोडल एजेंसियों के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ स्कीमों की मैपिंग में कठिनाई आने के कारण और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(viii) "राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति (एन. पी. आर. डी.)" – ₹3519.00 लाख की बचत (₹14419.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम संख्या में व्यवसायियों को लेने, कम संख्या में व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ix) "कोविड–19 अनुक्रिया तंत्र 2021 के अंतर्गत वैश्विक निधि अनुदान" – ₹1637.08 लाख की बचत (₹2250.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम संख्या में व्यवसायियों को लेने और कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(घ) "खाद्य अपमिश्रण निवारण – भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण" – ₹1713.85 लाख की बचत (₹57486.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को नहीं भरे जाने और व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

(ङ) "औषधि नियंत्रण – केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन" – ₹1130.11 लाख की बचत (फ़रवरी, 2024 में प्राप्त किए गए ₹0.03 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹15675.03 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को नहीं भरे जाने, कम संख्या में संविदागत कर्मचारियों को लेने, कार्यालय के उपकरणों और पेरिफ़ेरलों की कम संख्या में खरीद किए जाने, कम संख्या में चिकित्सा संबंधी दावे प्राप्त होने, कम मात्रा में रखरखाव संबंधी कार्य किए जाने, प्रशासनिक कारणों से सहायक औषध निरीक्षकों/औषध

provision of ₹12067.00 lakhs) was due to difficulty in mapping of schemes with States/UTs under Central Nodal Agency and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(viii) "National Policy for Rare Diseases (NPRD)" - saving of ₹3519.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14419.00 lakhs) was due to hiring of less professionals, receipt of less viable proposals and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(ix) "Global Fund Grant under Covid-19 Response Mechanism 2021" - saving of ₹1637.08 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2250.00 lakhs) was due to hiring of less professionals and receipt of less proposals.

(d) "Prevention of food adulteration - Food Safety and Standard Authority of India" - saving of ₹1713.85 lakhs (against the sanctioned provision of ₹57486.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and receipt of less viable proposals.

(e) "Drug Control - Central Drugs Standards Control Organisation" - saving of ₹1130.11 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹15675.03 lakhs including token supplementary grant of ₹0.03 lakh obtained in February, 2024) was due to non-filling up of vacant posts, hiring of less contractual staff, less procurement of office equipment and peripherals, receipt of less medical claims, less maintenance related works, non-materialisation of financial

निरीक्षकों के वित्तीय उन्नयन के प्रस्ताव को मूर्त रूप नहीं दिए जाने और स्थापना संबंधी कार्यों पर कम राशि व्यय किए जाने के कारण हुई।

(च) "सेरा/वैक्सीन का निर्माण" –

(i) "बी. सी. जी. वेक्सीन प्रयोगशाला, गुइंडी चेन्नई" – ₹553.32 लाख की बचत (फ़रवरी, 2024 में प्राप्त किए गए ₹0.03 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹3271.03 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को नहीं भरे जाने, कार्यालय उपकरणों और पेरिफ़ेरलों की कम संख्या में खरीद किए जाने, कम संख्या में बैठकें और कार्यशालाएं आयोजित किए जाने, विक्रेताओं द्वारा रबर की आपूर्ति नहीं किए जाने, जानवरों के स्थान के रखरखाव के लिए अनुमोदन मिलने में देरी होने और कम संख्या में व्यवसायियों और संविदागत कर्मचारियों को लेने के कारण हुई।

(ii) "पाश्च्चर इंस्टीट्यूट आफ़ इंडिया, कुन्नूर को अनुदान" – ₹841.00 लाख की बचत (₹7621.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम संख्या में व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(छ) "जन स्वास्थ्य प्रयोगशालायें" –

(i) "केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान कसौली" – ₹1824.93 लाख की बचत (फ़रवरी, 2024 में प्राप्त किए गए ₹0.03 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹6784.03 लाख के कूल प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को नहीं भरे जाने, कम संख्या में कार्यालय उपकरण और पेरिफ़ेरलों, सामग्रियों और आपूर्तियों की खरीद किए जाने, कम मात्रा में रखरखाव संबंधी कार्य किए जाने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

upgradation of Assistant Drug Inspectors/Drug Inspectors owing to administrative reasons and less establishment related expenses.

(f) "Manufacture of Sera/Vaccine" -

(i) "B.C.G. Vaccine Laboratory, Guindy, Chennai" - saving of ₹553.32 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹3271.03 lakhs including token supplementary grant of ₹0.03 lakh obtained in February, 2024) was due to non-filling up of vacant posts, less procurement of office equipments and peripherals, conduction of less meetings and workshops, non-supply of rubbers by vendors, delay in receipt of approval for maintenance of animal house and hiring of less professionals/ outsourced staff.

(ii) "Grants to Pasteur Institute of India, Coonoor" - saving of ₹841.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7621.00 lakhs) was due to receipt of less viable proposals.

(g) "Public Health Laboratories" -

(i) "Central Research Institute, Kasauli" - saving of ₹1824.93 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹6784.03 lakhs including token supplementary grant of ₹0.03 lakh obtained in February, 2024) was due to non-filling up of vacant posts, less procurement of office equipments and peripherals, material and supplies, less maintenance related works and reduction of provision at revised

estimates stage by the Ministry of Finance.

(ii) "नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ बायोलोगिकल्स, नोएडा (यू.पी.)" – ₹862.17 लाख की बचत (₹6143.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम संख्या में व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(ii) "National Institute of Biologicals, Noida (U.P.)" - saving of ₹862.17 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6143.00 lakhs) was due to receipt of less viable proposals.

(ज) "अन्य व्यय" –

(h) "Other Expenditure" -

(i) "राष्ट्रीय आरोग्य निधि" – ₹5393.52 लाख की बचत (₹6728.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम संख्या में व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(i) "Rashtriya Arogya Nidhi" - saving of ₹5393.52 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6728.00 lakhs) was due to receipt of less viable proposals.

(ii) "केंद्रीय योजनाओं के तहत नई पहलें" – ₹1034.72 लाख की बचत (₹2300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को नहीं भरे जाने, कम संख्या में यात्रायें किए जाने, कम संख्या में कार्यालय पेरिफ़ेरलों और उपकरणों की खरीद किए जाने, कम संख्या में तुच्छ सिविल और इलेक्ट्रिक कार्य किए जाने और कम संख्या में व्यवसायियों को लेने के कारण हुई।

(ii) "New Initiatives under Central Schemes" - saving of ₹1034.72 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2300.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, less tours undertaken, procurement of less office peripherals and equipments, less minor civil and electric works undertaken and hiring of less professionals.

(iii) "स्वास्थ्य क्षेत्र आपदा तैयारी और अनुक्रिया" – ₹784.43 लाख की बचत (₹1368.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम संख्या में दौरे किए जाने, कम संख्या में व्यवसायियों को लेने और व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

(iii) "Health Sector Disaster Preparedness and Response" - saving of ₹784.43 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1368.00 lakhs) was due to less tours undertaken, hiring of less professionals and non-receipt of viable proposals.

(iv) "आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के लिए मानव संसाधान विकास" – ₹5136.93 लाख की बचत (₹6164.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम संख्या में यात्रायें किए जाने, कम संख्या में कार्यालय पेरिफ़ेरलों और उपकरणों की खरीद किए

(iv) "Human Resources Development for Emergency Medical Services" - saving of ₹5136.93 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6164.00 lakhs) was due to less tours undertaken, procurement of less office

जाने, कम संख्या में व्यवसायियों को लेने और व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

(v) "विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों में व्यय" – ₹1400.00 लाख की बचत (₹1500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को नहीं भरे जाने और विधान मंडल विहीन संघ राज्य क्षेत्रों से कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(vi) "रक्त आधान सेवायें" – ₹1668.76 लाख की बचत (₹15289.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ब्लड बैंक की खरीद प्रक्रिया और परीक्षण किटों का राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विकेंद्रीकरण किए जाने के कारण हुई।

(vii) "आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ए. बी. डी. एम.)" – ₹16565.83 लाख की बचत (₹34102.00 लाख के स्वीकत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को नहीं भरे जाने, कम संख्या में दौरे किए जाने,कम संख्या में कार्यालय उपकरणों/पेरिफ़ेरलों की खरीद किए जाने, कम संख्या में संविदागत कर्मचारियों को लेने, डी. ए. वी. पी. द्वारा निधियों का उपयोग नहीं किए जाने, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पूरी क्षमता से संसाधानों को आनबोर्ड/लगाने में विलंब होने के कारण हुई।

(घा) "सामान्य – अंतर्राष्ट्रीय सहयोग" –

(क) "अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सदस्यता" – ₹8416.93 लाख की बचत (₹9100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) डिजिटल स्वास्थ्य संबंधी वैश्विक पहल (जी. आई. डी. एच.) में अंशदान के लिए सहमति नहीं होने के कारण हुई।

(ख) "चिकित्सा और जन स्वास्थ्य संबंधी अंतर्राष्ट्रीय

peripherals and equipments, hiring of less professionals and non receipt of viable proposals.

(v) "Expenditure in UTs with Legislature" - saving of ₹1400.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and receipt of less proposals from Union Territories without Legislature.

(vi) "Blood Transfusion Service" - saving of ₹1668.76 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15289.00 lakhs) was due to decentralisation of procurement of blood banks and testing kits to States/UTs.

(vii) "Ayushman Bharat Digital Mission (ABDM)" - saving of ₹16565.83 lakhs (against the sanctioned provision of ₹34102.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, less tours undertaken, less procurement of office equipments/peripherals, hiring of less contractual staff, non-utilisation of funds by DAVP and delay in onboarding and deployment of resources in full capacity by States/UTs.

(D) "General - International Cooperation" -

(a) "Membership for International Organisation" - saving of ₹8416.93 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9100.00 lakhs) was due to non-concurrence of Global Initiative on Digital Health (GIDH) Contribution.

(b) "Grants for International Conferences on

सम्मेलनों के लिए अनुदान" – ₹922.05 लाख की बचत (₹3700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम संख्या में सम्मेलन और कार्यशालायें आयोजित किए जाने और कम संख्या में व्यवसायियों को लेने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2211" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के तहत हुईं:–

(का) "निदेशन और प्रशासन" –

(क) "क्षेत्रीय स्वास्थ्य – कार्यालय" – ₹719.40 लाख की बचत (₹4809.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चिकित्सा अधिकारियों को बाहर स्थानान्तरित किए जाने, कम संख्या में कार्यालय उपकरणों और पेरिफ़ेरलों की खरीद किए जाने, रखरखाव संबंधी कर्य पर कम राशि व्यय किए जाने और कम संख्या में व्यवसायियों को लेने के कारण हुई।

(ख) "अवसंरचना रखरखाव – विधानमंडल विहीन संघ राज्य क्षेत्र" – ₹1862.77 लाख की बचत (₹4002.98 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से स्थापना संबंधी व्यय के अंतर्गत कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(ग) "राष्ट्रीय पी. एम. ए. बी. एच. आई. एम. प्रबंधन कार्यक्रम" – ₹8294.43 लाख की बचत (फ़रवरी, 2024 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹8751.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम संख्या में व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(खा) "प्रशिक्षण" –

(क) "राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली" – ₹1181.43 लाख की बचत (₹9137.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम संख्या में व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने और वित्त मंत्रालय

Medical and Public Health" - saving of ₹922.05 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3700.00 lakhs) was due to conduction of less meetings and workshops and hiring of less professionals.

(III) Under Major Head "2211" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Direction and Administration" -

(a) "Regional Health Offices" - saving of ₹719.40 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4809.00 lakhs) was due to transfer of medical officers, procurement of less office equipments and peripherals, less maintenance related expenses and hiring of less professionals.

(b) "Infrastructure Maintenance - UTs without legislature" - saving of ₹1862.77 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4002.98 lakhs) was due to receipt of less proposals under establishment related expenses from UT Governments.

(c) "National Programme Management of the PM-ABHIM" - saving of ₹8294.43 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹8751.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in February, 2024) was due to receipt of less viable proposals and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(B) "Training" -

(a) "National Institute of Health and Family Welfare, New Delhi" - saving of ₹1181.43 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9137.00 lakhs) was due to receipt of less

द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ख) "अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुम्बई" – ₹829.74 लाख की बचत (₹7742.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्य में देरी किए जाने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ग) "ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षाण संस्थान, नजफ़गढ" – ₹670.07 लाख की बचत (₹3850.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(घ) "राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान" – ₹730.22 लाख की बचत (₹1572.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कम संख्या में कार्यालय उपकरणों और पेरिफ़ेरलों की खरीद किए जाने, कम संख्या में बैठकें और कार्यशालायें आयोजित किए जाने, रखरखाव संबंधी कार्य पर कम धनराशि खर्च किए जाने, उप केंद्रों के किराये के बिल लंबित रखने, क संख्या में वेक्सीनों की खरीद किए जाने और अस्पतालों से कम संख्या में मांग प्राप्त होने के कारण हुई।

(गा) "अनुसंधान और मूल्यांकन – जनसांख्यिकीय और अन्य सूचना अनुसंधान" – ₹763.04 लाख की बचत (₹3850.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पटना और गांधीग्राम में पी. सी. आर. भवन के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप देने में विलंब होने के कारण हुई।

(घा) "जन शिक्षा – स्वस्थ नागरिक अभियान (एस. एन. ए.)" – ₹1020.61 लाख की बचत (₹3587.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम संख्या में बैठकें और कार्यशालायें आयोजित किए जाने, सामग्रियों, विज्ञापनों और व्यसायियों

viable proposals and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(b) "International Institute for Population Sciences, Mumbai" - saving of ₹829.74 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7742.00 lakhs) was due to delay in completion of work by Central Public Works Department and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(c) "Rural Health Training Centre, Najafgarh" - saving of ₹670.07 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3850.00 lakhs); and

(d) "National Institute of Public Health Training and Research" - saving of ₹730.22 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1572.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to procurement of less office equipments and peripherals, conduction of less meetings and workshops, less maintenance related works, pending rent of sub-centers, procurement of less vaccines and less demand from hospitals.

(C) "Research and Evaluation - Demographic and Other Communication Research" - saving of ₹763.04 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3850.00 lakhs) was due to delay in finalization of MoU for construction of PCR building in Patna and Gandhigram.

(D) "Mass Education - Swastha Nagrik Abhiyan (SNA)" - saving of ₹1020.61 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3587.00 lakhs) was due to conduction of less meetings and workshops, less

को लेने में कम राशि व्यय होने, व्यय की धीमी प्रगति होने, राज्यों से कम संख्या में मांग प्राप्त होने और अप्रयुक्त राशि उपलब्ध होने के कारण हुई।

expenses towards procurement of materials, advertisements and hiring of professionals, slow pace of expenditure, less demand from States and availability of unspent balances.

(IV) मुख्य शीर्ष "3601" – "केंद्रीय प्रायोजित योजनायें" – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के तहत हुईं:–

(IV) Under Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes" - savings occurred under the following heads:-

(का) "केंद्रीय सहायता/हिस्सा" –

(A) "Central Assistance/Share" -

(क) "राज्य औषध विनियामक प्रणाली का सुदृढीकरण" – ₹755.38 लाख की बचत (₹2800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजना मांग द्वारा संचालित होने के नाते निधियां जारी करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण हुई।

(a) "Strengthening of State Drug Regulatory System" - saving of ₹755.38 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2800.00 lakhs) was due to non-submission of proposals by State Governments for release of funds, scheme being demand driven.

(ख) "स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन" – ₹332824.00 लाख की बचत (दिसम्बर, 2023 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹426361.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संपादन कर्ता प्राधिकरणों और भाग लेने वाले राज्यों से कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(b) "Human Resources for Health and Medical Education" - saving of ₹332824.00 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹426361.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in December, 2023) was due to receipt of less proposals from executing authorities and participating States and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(ग) "विशिष्ट परिचर्या कार्यक्रम/योजनायें" – ₹1483.89 लाख की बचत (₹8102.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जन संचार अभियान को मूर्त रूप नहीं दिए जाने, लक्ष्य पूरा नही कर पाने और व्यय की धीमी गति होने के कारण हुई।

(c) "Tertiary Care Programme/Schemes" - saving of ₹1483.89 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8102.00 lakhs) was due to non-materialisation of Mass Media Campaign, non-completion of milestone and slow pace of expenditure.

(घ) "प्रधान मंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पी. एम. – ए. बी. एच. आई. एम.)" – ₹23380.21 लाख की बचत (₹48761.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राजस्थान, तेलंगाना और हरियाणा राज्यों को एस. एन. ए. स्पर्श प्लेटफ़ार्म के अंतर्गत किश्त जारी नहीं किए जाने

(d) "Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission (PM-ABHIM)" - saving of ₹23380.21 lakhs (against the sanctioned provision of ₹48761.00 lakhs) was due to non-release of installment under SNA SPARSH platform to States of

और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(खा) "विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनायें – केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए अनुदान" –

(क) "आर. सी. एच. और स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण के लिए फ़्लेक्सी पूल, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और शहरी स्वास्थ्य मिशन" – ₹69016.00 लाख की बचत (₹99076.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) "प्रधान मंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पी. एम. – ए. बी. एच. आई. एम.)" – ₹70909.12 लाख की बचत (₹173604.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें राज्यों से कम संख्य में व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(गा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना" –

(क) "राज्य औषध विनियामक प्रणाली का सुदृढीकरण" – ₹517.15 लाख की बचत (₹1100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त नहीं हो पाने और अप्रयुक्त शेष राशि उपलब्ध होने के कारण हुई।

(ख) "स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन" – ₹79118.00 लाख की बचत (₹94620.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भाग लेने वाले राज्यों से कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ग) "प्रधान मंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना

Rajasthan, Telangana and Haryana and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(B) "Externally Aided Projects-Grants for Centrally Sponsored Schemes" -

(a) "Flexible Pool for RCH and Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission" - saving of ₹69016.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹99076.00 lakhs); and

(b) "Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission (PM-ABHIM)" - saving of ₹70909.12 lakhs (against the sanctioned provision of ₹173604.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to receipt of less viable proposals from States and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(C) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(a) "Strengthening of State Drug Regulatory System" - saving of ₹517.15 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1100.00 lakhs) was due to non-receipt of viable proposals from State Governments and availability of unspent balances.

(b) "Human Resources for Health & Medical Education" - saving of ₹79118.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹94620.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from participating States and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(c) "Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health

मिशन (पी. एम. – ए. बी. एच. आई. एम.)" – ₹47964.55 लाख की बचत (₹78432.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से कम संख्या में व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने, अप्रयुक्त शेष राशि उपलब्ध होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

Infrastructure Mission (PM-ABHIM)" - saving of ₹47964.55 lakhs (against the sanctioned provision of ₹78432.00 lakhs) was due to receipt of less viable proposals from State Governments, availability of unspent balances and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(घा) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना" –

(क) "स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन" – ₹40881.00 लाख की बचत (₹49020.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) "प्रधान मंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पी. एम. – ए. बी. एच. आई. एम.)" – ₹23434.74 लाख की बचत (₹39217.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें राज्य सरकारों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने, राज्यों के पास अप्रयुक्त राशि उपलब्ध होने और कुछ राज्यों द्वारा व्यय विभाग के दिशानिर्देशों का पालन नहीं किए जाने के कारण हुईं।

(D) "Tribal Area Sub-Plan" -

(a) "Human Resources for Health & Medical Education" - saving of ₹40881.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹49020.00 lakhs); and

(b) "Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission (PM-ABHIM)" - saving of ₹23434.74 lakhs (against the sanctioned provision of ₹39217.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-receipt of viable proposals from State Governments, availability of unspent balances with States and non-compliance of Department of Expenditure's guidelines by certain States.

(V) मुख्य शीर्ष "3602" – "केंद्रीय प्रायोजित योजनायें" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के तहत हुईः–

(का) "केंद्रीय सहायता / हिस्सा" –

(क) "आर. सी. एच. और स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण के लिए फ़्लेक्सी पूल, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और शहरी स्वास्थ्य मिशन" – ₹1352.08 लाख की बचत (₹64264.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आकस्मिक देयताओं / लंबित बिलों को क्लीयर करने के कारण हुई।

(ख) "स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव

(V) Under Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Schemes" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Central Assistance/Share" -

(a) "Flexible Pool for RCH and Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission" - saving of ₹1352.08 lakhs (against the sanctioned provision of ₹64264.00 lakhs) was due to clearance of contingent liability/pending bills.

(b) "Human Resources for Health & Medical

संसाधन" – ₹6962.00 लाख की बचत (₹7480.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ग) "विशिष्ट परिचर्या कार्यक्रम / योजनायें" – ₹807.50 लाख की बचत (₹882.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(घ) "प्रधान मंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पी. एम. ए. बी. एच. आई. एम.)" – ₹8611.00 लाख की बचत (₹11231.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(खा) "विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनायें – केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान – प्रधान मंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पी. एम. – ए. बी. एच. आई. एम.)" – ₹1142.00 लाख की बचत (₹1882.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(गा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना" –

(क) "स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन" – ₹1548.00 लाख की बचत (₹1660.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ख) "प्रधान मंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पी. एम. ए. बी. एच. आई. एम.)" – ₹2907.00 लाख की बचत (₹3747.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(घा) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना" –

(क) "स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन" – ₹790.00 लाख की बचत (₹860.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) "प्रधान मंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पी. एम. ए. बी. एच. आई. एम.)" – ₹1405.00 लाख की बचत (₹1873.00 लाख के स्वीकृत

Education" - saving of ₹6962.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7480.00 lakhs);

(c) "Tertiary Care Programme/Schemes" - saving of ₹807.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹882.00 lakhs);

(d) "Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission (PM-ABHIM)" - saving of ₹8611.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11231.00 lakhs);

(B) "Externally Aided Projects-Grants for Centrally Sponsored Schemes - Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission (PM-ABHIM)" - saving of ₹1142.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1882.00 lakhs);

(C) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(a) "Human Resources for Health & Medical Education" - saving of ₹1548.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1660.00 lakhs);

(b) "Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission (PM-ABHIM)" - saving of ₹2907.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3747.00 lakhs);

(D) "Tribal Area Sub-Plan" -

(a) "Human Resources for Health & Medical Education" - saving of ₹790.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹860.00 lakhs); and

(b) "Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission (PM-ABHIM)" - saving of ₹1405.00 lakhs (against the

प्रावधान की तुलना में) हुई;

उपर्युक्त आठ शीर्षों के अंतर्गत बचतें संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने, संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के पास अप्रयुक्त शेष राशि उपलब्ध होने और कुछ संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा व्यय विभाग के दिशानिर्देशों का पालन नहीं किए जाने के कारण हुईं।

(VI) तीन शीर्षों के अंतर्गत ₹962.31 लाख की बचत हुई जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक परन्तु ₹500.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 19 से 46 प्रतिशत तक थीं।

2.(I) उपर्युक्त बचतें आंशिक रूप से (₹1158028.11 लाख) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान बढाने के लिए प्रयुक्त हो गईं जैसा कि दिसम्बर, 2023 और फ़रवरी, 2024 में निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹9.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:

(का) मुख्य शीर्ष "2071" – "चिविल – सी. जी. एच. एस. पेंशन भोगियों का चिकित्सा उपचार – केंद्रीय सरकार के पेंशन भोगी" – ₹43652.38 लाख।

(खा) मुख्य शीर्ष "2210" –

(क) "शहरी स्वास्थ्य सेवायें – एलोपैथी – अस्पताल और डिस्पेंसरियां – अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुम्बई" – ₹1170.82 लाख। तथापि वास्तविक अधिक व्यय ₹1118.99 लाख हुआ।

(ख) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान – एलोपैथी" –

(i) "अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली" – ₹35500.00 लाख।

(ii) "राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलुरू को अनुदान" – ₹2939.00 लाख।

sanctioned provision of ₹1873.00 lakhs).

Savings under the above eight heads were due to non-receipt of viable proposals from UT Governments, availability of unspent balances with UTs and non-compliance of Department of Expenditure's guidelines by certain UTs

(VI) Under three heads savings of ₹962.31 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 19 percent to 46 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (₹1158028.11 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹9.00 lakhs in December, 2023 and February, 2024 under the following major heads:-

(A) Major Head "2071" - "Civil - Medical Treatment of CGHS Pensioners - Central Government Pensioners" - ₹43652.38 lakhs.

(B) Major Head "2210" -

(a) "Urban Health Services - Allopathy- Hospital and Dispensaries - All India Institute of Physical Medicine & Rehabilitation, Mumbai" - ₹1170.82 lakhs. Actual excess, however, was ₹1118.99 lakhs.

(b) "Medical Education, Training and Research - Allopathy" -

(i) "All India Institute of Medical Sciences, New Delhi" - ₹35500.00 lakhs.

(ii) "Grants to National Institute of Mental Health & Neuro-Science, Bangalore" - ₹2939.00 lakhs.

(iii) "स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ को अनुदान" – ₹19990.00 लाख।

(iv) "राजकुमारी अमृत कौर नर्सिंग कॉलेज, नई दिल्ली" – ₹1528.36 लाख। तथापि वास्तविक अधिक व्यय ₹1528.35 लाख हुआ।

(v) "पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग को अनुदान" – ₹41630.40 लाख।

(vi) "क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इंफ़ाल" – ₹61099.90 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹61099.89 लाख था।

(vii) "लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलै क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान (एल. जी. बी. आर. आई. एम. एच.) तेजपुर" – ₹7109.96 लाख।

(viii) "रीजनल इंस्टीट्यूट आफ़ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइंसेज (आर. आई. पी.ए. एन. एस.), आइजोल" – ₹10189.84 लाख।

(ix) "राष्ट्रीय क्षय रोग और श्वसन रोग संस्थान (एन आई टी आर डी), नई दिल्ली" – ₹1766.84 लाख।

(ग) "जन स्वास्थ्य – रोग निवारण और नियंत्रण" –

(i) "राष्ट्रीय नशा मुक्ति कार्यक्रम" – ₹1930.33 लाख।

(ii) "राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य परिचर्या कार्यक्रम" – ₹1847.97 लाख।

(iii) "Grants to Post-Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh" - ₹19990.00 lakhs.

(iv) "Rajkumari Amrit Kaur College of Nursing, New Delhi" - ₹1528.36 lakhs. Actual excess, however, was ₹1528.35 lakhs.

(v) "Grants to North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health & Medical Sciences, Shillong" - ₹41630.40 lakhs.

(vi) "Regional Institute of Medical Sciences, Imphal" - ₹61099.90 lakhs. Actual excess, however, was ₹61099.89 lakhs.

(vii) "Lokopriya Gopinath Bordoloi Regional Institute of Mental Health (LGBRIMH), Tejpur" - ₹7109.96 lakhs.

(viii) "Regional Institute of Paramedical & Nursing Sciences (RIPANS), Aizawl" - ₹10189.84 lakhs.

(ix) "National Institute of Tuberculosis and Respiratory Disease (NITRD), New Delhi" - ₹1766.84 lakhs.

(c) "Public Health - Prevention and Control of Diseases" -

(i) "National Drugs De-addition Programme" - ₹1930.33 lakhs.

(ii) "National Programme for Health Care for the Elderly" - ₹1847.97 lakhs.

(iii) "टेलीमेडिसिन" – ₹374.73 लाख।

(घ) "सामान्य" –

(i) "आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (पी. एम. जे. ए. वाई.) – राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (पी. एम. एस. एस. एन.)" – ₹35768.63 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹35436.38 लाख हुआ।

(ii) "अनुसूसित जातियों के लिए विशेष घट्क योजना – आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (पी. एम. जे. ए. वाई.) – राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण" – ₹4833.88 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹4828.26 लाख हुआ।

(iii) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना – आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (पी. एम. जे. ए. वाई.) – राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण" – ₹8071.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹7982.54 लाख हुआ।

(गा) मुख्य शीर्ष "2211" – "निदेशन और प्रशासन" –

(क) "राष्ट्रीय एन. आर.एच. एम. प्रबंधन कार्यक्रम सुदृढीकरण" – ₹2188.98 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹2188.97 लाख हुआ।

(ख) "आर. सी. एच. और स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण के लिए फ़्लेक्सी पूल, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और शहरी स्वास्थ्य मिशन" – ₹157116.99 लाख।

(घा) मुख्य शीर्ष "3601" – "केंद्रीय प्रायोजित योजनायें" –

(क) "केंद्रीय सहायता / हिस्सा" –

(iii) "Telemedicine" - ₹374.73 lakhs.

(d) "General" -

(i) "Ayushman Bharat - Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PMJAY) - National Health Authority (PMSSN)" - ₹35768.63 lakhs. Actual excess, however, was ₹35436.38 lakhs.

(ii) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Ayushman Bharat - Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PMJAY) - National Health Authority" - ₹4833.88 lakhs. Actual excess, however, was ₹4828.26 lakhs

(iii) "Tribal Area Sub-Plan - Ayushman Bharat - Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PMJAY) - National Health Authority" - ₹8071.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹7982.54 lakhs.

(C) Major Head "2211" - "Direction and Administration" -

(a) "Strengthening National Programme Management of the NRHM" - ₹2188.98 lakhs. Actual excess, however, was ₹2188.97 lakhs.

(b) "Flexible pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission" - ₹157116.99 lakhs.

(D) Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes" -

(a) "Central Assistance/Share" -

(i) "आर. सी. एच. और स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण के लिए फ़्लेक्सी पूल, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और शहरी स्वास्थ्य मिशन" – ₹558333.44 लाख।

(ii) "अवसंरचना रखरखाव" – ₹29915.00 लाख।

(ख) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना" –

(i) "एफ डब्ल्यू – अवसंरचना अनुरक्षण" – ₹29094.00 लाख।

(ii) "आर. सी. एच. और स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण के लिए फ़्लेक्सी पूल, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और शहरी स्वास्थ्य मिशन" – ₹8312.62 लाख।

(ग) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना" –

(i) "एफ़. डब्ल्यू. – अवसंरचना रखरखाव" – ₹32269.63 लाख।

(ii) "आर. सी. एच. और स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण के लिए फ़्लेक्सी पूल, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और शहरी स्वास्थ्य मिशन" – ₹40763.36 लाख।

(ङ) मुख्य शीर्ष "3606" – "यूनिसेफ के लिए सहायता – राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम और पोलियो उन्मूलन के सुदृढ़ीकरण के लिए सामग्री सहायता" – ₹20630.05 लाख।

(II) बचतें भी निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुए अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित हो गईः–

(का) मुख्य शीर्ष "2210" –

(क) "शहरी स्वास्थ्य सेवायें – एलोपैथी – चिकित्सा भंडार डिपो – हज यात्रियों के टीकाकरण के लिए मेनिनजाइटिस वैक्सीन की खरीद" – ₹1338.13

(i) "Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission" - ₹558333.44 lakhs.

(ii) "Infrastructure Maintenance" - ₹29915.00 lakhs.

(b) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(i) "FW-Infrastructure Maintance" - ₹29094.00 lakhs.

(ii) "Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission" - ₹8312.62 lakhs.

(c) "Tribal Area Sub-Plan" -

(i) "FW - Infrastructure Maintenance" - ₹32269.63 lakhs.

(ii) "Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission" - ₹40763.36 lakhs.

(E) Major Head "3606" - "Assistance for UNICEF - Material Assistance for Strengthening of National Immunisation Programme and Polio Eradication" - ₹20630.05 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2210" -

(a) "Urban Health Services - Allopathy - Medical Store Depots - Procurement of Meningitis Vaccine for Innoculation of Haj Pilgrims" -

लाख का अधिक व्यय (₹927.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हज यात्रियों के टीकाकरण के लिए मेनिनजाइटिस वैक्सीन की अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में खरीद किए जाने के कारण हुई।

(ख) "जन स्वास्थ्य – अन्य व्यय – प्रधान मंत्री गरीब कल्याण परियोजना – कोविड–19 हेतु कार्यरत स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए बीमा योजना" – ₹1549.00 लाख का अधिक व्यय (₹1.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा दावों का निपटान होने के कारण हुआ।

(ग) "सामान्य" –

(i) "आरक्षी निधियों/जमा लेखाओं को अंतरण – प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि (पी. एम. एस. एस. वाई.) से सहायता" – ₹49785.33 लाख का अधिक व्यय (₹606900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उत्तर पूर्व क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए प्रियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग के लिए मुख्य शीर्ष "2552" से निधियों को कार्यात्मक शीर्षों को पुनर्विनियोग किए जाने के कारण हुआ।

(ii) "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग – विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू. एच. ओ.) और अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को अंशदान" – ₹2684.58 लाख का अधिक व्यय (₹3400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) डब्ल्यू. एच. ओ. और भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ को की गई। प्रतिबद्ध देयताओं देयताओं को निपटाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष "2211" –

(क) "अनुसंधान और मूल्यांकन – स्वास्थ्य सर्वेक्षण और अनुसंधान अध्ययन" – ₹12001.37 लाख का

excess of ₹1338.13 lakhs (against the sanctioned provision of ₹927.00 lakhs) was due to procurement of Meningitis vaccine for inoculation of Haj Pilgrims.

(b) "Public Health - Other Expenditure - Pradhan Mantri Garib Kalyan Project Insurance Scheme for Health Care workers fighting COVID-19" - excess of ₹1549.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1.00 lakh) was due to settlement of insurance claims for health care workers.

(c) "General" -

(i) "Transfer to Reserve Fund/Deposit Account - Support from Pradhan Mantri Swasthya Surkasha Nidhi (PMSSN)" - excess of ₹49785.33 lakhs (against the sanctioned provision of ₹606900.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/ schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(ii) "International Cooperation - Contribution to WHO and Other International Agencies" - excess of ₹2684.58 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3400.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards clearance of committed liabilities to WHO and Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry.

(B) Major Head "2211" -

(a) "Research and Evaluation - Health Surveys and Research Studies" - excess of

अधिक व्यय (₹5688.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एन. एफ़. एच. एस.–6 सर्वेक्षण कार्य के कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ख) "प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम – आर. सी. एच. और स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण के लिए फ़्लैक्सी पूल, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और शहरी स्वास्थ्य मिशन" – ₹1394.63 लाख का अधिक व्यय (₹22182.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नियमित कर्मचारियों को वेतन देने के लिए संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(गा) मुख्य शीर्ष "3601" – "केंद्रीय प्रायोजित योजनायें" –

(क) "केंद्रीय सहायता/हिस्सा" –

(i) "राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा – योजना (आर. एस. बी. वाई.) – आर. एस. बी. वाई. – राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना" – ₹7811.53 लाख का अधिक व्यय (₹1.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ii) "एफ डब्ल्यू – अवसंरचना अनुरक्षण (पी. एम. एस. एस. एन.)" – ₹60000.00 लाख का अधिक व्यय (₹130000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय योजना में भाग ले रहे राज्यों से अपेक्षाकृत अधिक संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने और वित्त पोषण पद्धति में परिवर्तन किए जाने के कारण हुआ ।

(ख) "आरक्षी निधियों/जमा लेखाओं को अंतरण – प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि (पी. एम. एस. एस. एन.) को निधियों क अंतरण" – ₹5978.00 लाख का अधिक व्यय (₹700000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उत्तर पूर्व क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं पर

₹12001.37 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5688.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards implementation of NFHS-6 survey work.

(b) "Reproductive and Child Health Programme - Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission" - excess of ₹1394.63 lakhs (against the sanctioned provision of ₹22182.00 lakhs) was due to requirement of additional funds by Union Territories towards salaries to regular staff.

(C) Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes" -

(a) "Central Assistance/Share" -

(i) "Rashtriya Swasthya Bima Yojana (RSBY) - RSSY - National Health Protection Scheme" - excess of ₹7811.53 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1.00 lakh); and

(ii) "FW-Infrastructure Maintenance (PMSSN)" - excess of ₹60000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹130000.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to receipt of more proposals from participating States and change in funding pattern.

(b) "Transfer to Reserve Fund/Deposit Account - Funds for Transfer to Pradhan Mantri Swasthya Surksha Nidhi (PMSSN)" - excess of ₹5978.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹700000.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from

उपयोग के लिए मुख्य शीर्ष "2552" से निधियों को कार्यात्मक शीर्षों को अंतरित किए जाने कारण हुआ।

(घा) मुख्य शीर्ष "3602" – "केंद्रीय प्रायोजित योजनायें" –

(क) "केंद्रीय सहायता/हिस्सा" –

(i) "राज्य औषध विनियामक प्रणाली का सुदृढीकरण" – ₹1496.82 लाख का अधिक व्यय (₹200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजना में भाग ले रहे संघ राज्य क्षेत्रों से अपेक्षाकृत अधिक संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने, फंडिंग पैटर्न में परिवर्तन होने और पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र को केंद्रीय हिस्सा जारी किए जाने के कारण हुआ।

(ii) "अवसंरचना रखरखाव" – ₹1967.00 लाख का अधिक व्यय (₹13481.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ख) "विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनायें केंद्रीय प्रायोजित परियोजनाओं के लिए अनुदान – आर. सी. एच. और स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण के लिए फ़्लैक्सी पूल, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और शहरी स्वास्थ्य मिशन" – ₹1211.00 लाख का अधिक व्यय (₹353.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

(ग) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना आर. सी. एच. और स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण के लिए फ़्लैक्सी पूल, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और शहरी स्वास्थ्य मिशन" – ₹8348.43 लाख का अधिक व्यय (₹4169.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(घ) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – आर. सी. एच. और स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण के लिए फ़्लैक्सी

Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(D) Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Schemes" -

(a) "Central Assistance/Share" -

(i) "Strengthening of State Drug Regulatory System" - excess of ₹1496.82 lakhs (against the sanctioned provision of ₹200.00 lakhs) was due to receipt of more proposals from participating UTs, change in funding pattern and release of central share to UT of Puducherry.

(ii) "Infrastructure Maintenance" - excess of ₹1967.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13481.00 lakhs);

(b) "Externally Aided Projects-Grants for Centrally Sponsored Schemes - Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission" - excess of ₹1211.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹353.00 lakhs);

(c) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission" - excess of ₹8348.43 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4169.00 lakhs); and

(d) "Tribal Area Sub-Plan - Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening,

पूल, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और शहरी स्वास्थ्य मिशन" – ₹3137.45 लाख का अधिक व्यय (₹695.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

National Health Programme and Urban Health Mission" - excess of ₹3137.45 lakhs (against the sanctioned provision of ₹695.00 lakhs).

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय योजना में भाग ले रहे राज्यों से अपेक्षाकृत अधिक संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने और वित्त पोषण पद्धति में परिवर्तन किए जाने के कारण हुआ।

Excess under the above four heads were due to receipt of more proposals from participating States and change in funding pattern.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुए:–

3. In the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "4210"	Major Head "4210"				
चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Medical and Public Health				
मू.	O.	520585.00			
पू.	S.	2.00	204320.37	199571.28	-4749.09
पु.	R.	-316266.63			
मुख्य शीर्ष "4216"	Major Head "4216"				
आवासन पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Housing				
मू.	O.	3525.00	3031.89	2189.79	-842.10
पु.	R.	-493.11			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4552"	Major Head "4552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	5003.00			
पू.	S.	1.00	..	..	..
पु.	R.	-5004.00			

(I) दस शीर्षों के अंतर्गत – ₹95042.30 लाख का प्रावधान (दिसम्बर, 2023 में प्राप्त किए गए ₹1.30 लाख के आंकेतिक पूरक अनुदान सहित) पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा, जिसमें से ₹94454.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध थेः–

(I) Provision of ₹95042.30 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.30 lakhs obtained in December, 2023) remained wholly unutilised under ten heads; of these ₹94454.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "4210" –

(क) "जन स्वास्थ्य – अन्य कार्यक्रम" –

(i) "राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र" – ₹543.00 लाख – खरीद के प्रस्तावों को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण।

(ii) "रक्त आधान सेवा – केंद्रीय क्षेत्र की परियोजनायें – मेट्रो ब्लड बैंग" – ₹811.00 लाख – परियोजनायें उपलब्ध नहीं होने और कम संख्या में उपकरणों की खरीद किए जाने के कारण।

(iii) "कोविड–19 अनुक्रिया तंत्र, 2021 के तहत वैश्विक निधि अनुदान" – ₹47000.00 लाख – कोविड महामारी न्यूनतम स्तर पर पहुंचने के कारण आक्सीजन की मांग नगण्य हो जाने के कारण।

(A) Major Head "4210" -

(a) "Public Health - Other Programmes" -

(i) "National Centre for Disease Control" - ₹543.00 lakhs - due to non-finalisation of procurement proposals.

(ii) "Blood Transfusion Service - Central Sector Projects Metro Blood Bank" - ₹811.00 lakhs - due to non-availability of projects and less procurement of equipments.

(iii) "Global Fund Grant under COVID-19 Response Mechanism 2021" - ₹47000.00 lakhs - due to negligible demand of oxygen owing to COVID pandemic being at minimal level.

(ख) "सामान्य – अन्य व्यय – आयुष्मान भारत – प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (पी. एम. जे. ए. वाई.)" – ₹41100.00 लाख – व्यय विभाग द्वारा नौरोजी नगर, नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के लिए कार्यालय स्थान की खरीद हेतु प्रस्ताव पर अनुमोदन नहीं मिलने के कारण।

(b) "General - Other Expenditure - Ayushman Bharat - Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PMJAY)" - ₹41100.00 lakhs - due to non-approval of proposal for purchase of office space for National Health Authority at Nauroji Nagar, New Delhi by Department of Expenditure.

(आ) मुख्य शीर्ष "4552" – "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान – एलोपैथी – प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पी. एम. एस. एस. वाई.)" – ₹5000.00 लाख – उत्तर पूर्व क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग के लिए निधियों को कार्यात्मक शीर्षों को पुनर्विनियोग किए जाने के कारण हुई।

(B) Major Head "4552" - "Medical Education, Training and Research Allopathy - Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana (PMSSY)" - ₹5000.00 lakhs - due to re-appropriation of funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) मुख्य शीर्ष "4210" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

(II) Under Major Head "4210" - savings occurred under the following heads:-

(का) "शहरी स्वास्थ्य सेवायें" –

(A) "Urban Health Services" -

(क) "केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना – डिस्पेंसरियों/अस्पतालों को खोलना" – ₹4821.02 लाख की बचत (₹8230.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यय की धीमी गति को देखते हुए वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने, बी. बी. डी. बैग डब्ल्यू. सी. कोल्काता में पुनरुद्धार और उन्नयन के लिए प्रशासनिक अनुमोदन मिलने में देरी होने, सी. पी. डब्ल्यू डी के कार्य की धीमी गति होने, सी. जी. एच. एस. दिल्ली, प्रयागराज, चेन्नई और भ्पाल द्वारा निधियों का उपयोग नहीं किए जाने और आर्डरों के परिदान में देरी होने के कारण विक्रेताओं के बिल लंबित रहने के कारण हुई।

(a) "Central Government Health Scheme - Setting up of Dispensaries/Hospitals" - saving of ₹4821.02 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8230.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to slow pace of expenditure, delay in administrative approval for renovation and upgradation of BBD Bag WC, Kolkata, slow pace of work by CPWD, non-utilisation of funds by CGHS Delhi, Prayagraj, Chennai and Bhopal and pending vendor bills owing to delayed delivery of orders.

(ख) "अस्पताल और डिस्पेंसरियां" –

(b) "Hospitals and Dispensaries" -

(i) "डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली" – ₹6161.72 लाख की बचत (₹34100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एच. आई. टी. ई. एस. से उपकरणों की खरीद नहीं हो पाने और सुपर स्पेशिलिटी ब्लाक (एस. एस. बी.) के लिए

(i) "Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi" - saving of ₹6161.72 lakhs (against the sanctioned provision of ₹34100.00 lakhs) was due to non-procurement of equipment from HITES and non-utilisation of funds by

केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निधियों का उपयोग नहीं किए जाने के कारण हुई।

(ii) "केंद्रीय मनचिकित्सा संस्थान, रांची" – ₹1794.31 लाख की बचत (₹3230.00 आख के स्व्कृत प्रावधान की तुलना में) व्यय की धीमी गति को देखते हुए वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(iii) "अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास संस्थान, मुम्बई" – ₹1386.42 लाख की बचत (₹1420.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विशिष्टियों संबंधी आवश्यकता पूरी नहीं होने के कारण जी. ई. एम. के माध्यम से मशीनरी उपकरणों की खरीद को अंतिम रूप नहीं दिए जाने और प्रशासनिक् कारणों से कार्यशाला भवन के पुनर्विकास और पुनर्निर्माण के कार्य में विलंब होने के कारण हुई।

(खा) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान – एलोपैथी" –

(क) "लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती एस. के. अस्पताल" – ₹9578.17 लाख की बचत (₹10800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) – सी. पी. डब्ल्यू. डी. को कम निधियों की आवश्यकता होने और खराब प्रतिक्रिया के कारण रेडिएशन आन्कोलोजी, रेडियोलाजी उपकरणों की निविदायें रद्द होने के कारण हुई।

(ख) "प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पी. एम. एस. एस.वाई.)" – ₹190758.81 लाख की बचत (दिसम्बर, 2023 में प्राप्त किए गए ₹0.10 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹325000.10 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) खराब प्रतिक्रिया के कारण रेडिएशन आन्कोलोजी, रेडियोलाजी उपकरणों की निविदायें रद्द होने के कारण हुई।

Central Public Work Department for Super Speciality Block (SSB).

(ii) "Central Institute of Psychiatry, Ranchi" - saving of ₹1794.31 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3230.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to slow pace of expenditure.

(iii) "All India Institute of Physical Medicine & Rehabilitation, Mumbai" - saving of ₹1386.42 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1420.00 lakhs) was due to non-finalisation of purchase of machinery equipment through GeM owing to non-fulfilling of specification requirements and delay in redevelopment and reconstruction of workshop building owing to administrative reasons.

(B) "Medical Education, Training and Research - Allopathy" -

(a) "Lady Hardinge Medical College and Smt. S.K. Hospital" - saving of ₹9578.17 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10800.00 lakhs) was due to requirement of less funds by CPWD and cancellation of tender for radiation oncology, radiology equipments owing to poor response.

(b) "Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana (PMSSY)" - saving of ₹190758.81 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹325000.10 lakhs including token supplementary grant of ₹0.10 lakh obtained in December, 2023) was due to cancellation of tender for radiation oncology, radiation equipments owing to poor response.

(ग) "राजकुमारी अमृत कौर नर्सिंग कालेज, नई दिल्ली" – ₹1156.00 लाख की बचत (₹1505.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रशासनिक अनुमोदन मिलने में देरी होने के कारण वाहनों, मशीनरी और उपकरणों की खरीद नहीं हो पाने और विक्रेताओं द्वारा समय पर फ़र्नीचर की आपूर्ति नहीं किए जाने के कारण हुई।

(c) "Raj Kumari Amrit Kaur College of Nursing, New Delhi" - ₹1156.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1505.00 lakhs) was due to non-procurement of vehicle, machinery and equipment owing to delay in administrative approval and non-supply of furniture by the vendors in time.

(गा) "जन स्वास्थ्य – अन्य कार्यक्रम" –

(C) "Public Health - Other Programmes" -

(क) "केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली" – ₹841.04 लाख की बचत (दिसम्बर, 2023 में प्राप्त किए गए ₹0.10 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹907.10 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सिंचाई और लोक स्वास्थ्य विभाग द्वारा वर्षा जल संचयन के कार्य को अंतिम रूप नहीं दिए जाने और कम संख्या में मोटर वाहनों, मशीनरी और उपकरणों की खरीद किए जाने के कारण हुई।

(a) "Central Research Institute, Kasauli" - saving of ₹841.04 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹907.10 lakhs including token supplementary grant of ₹0.10 lakh obtained in December, 2023) was due to non-finalization of work of rain water harvesting by Irrigation and Public Health Department and less procurement of motor vehicle, machinery and equipments.

(ख) "केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन" – ₹565.33 लाख की बचत (दिसम्बर, 2023 में प्राप्त किए गए ₹0.20 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹2825.20 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संब्धित प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित कार्यविधि को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण हुई।

(b) "Central Drugs Standards Control Organisation" - saving of ₹565.33 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹2825.20 lakhs including token supplementary grant of ₹0.20 lakh obtained in December, 2023) was due to non-finalisation of approved procedure by the concerned authorities.

(ग) "स्वास्थ्य क्षेत्र आपदा तैयारी और अनुक्रिया" – ₹3842.00 लाख की बचत (₹5282.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभागों से कम संख्या में मांग प्राप्त होने के कारण हुई।

(c) "Health Sector Disaster Preparedness and Response" - saving of ₹3842.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5282.00 lakhs) was due to receipt of less demand from the departments.

(घ) "डब्ल्यू. एह. ओ. – एस. ई. ए. आर. ओ. भवन, नई दिल्ली का पुनर्निर्माण" – ₹1700.00 लाख की बचत (₹6200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) डब्ल्यू. एह. ओ. भवन में बाढ़ आ जाने के कारण पुनिर्निर्माण कार्य में देरी होने के कारण हुई।

(d) "Reconstruction of WHO-SEARO Building, New Delhi" - saving of ₹1700.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6200.00 lakhs) was due to delay in reconstruction work owing to flooding of WHO Building.

(ङ) "प्रधान मंत्री आयुष्मान भारत अवसंरचना मिशन (पी. एम . ए. बी. एच. आई. एम.)" – ₹8414.46 लाख की बचत (₹11450.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परियोजनाओं/प्रस्तावों के उपलब्ध न होने, उपकरणों की कम अधिप्राप्ति किए जाने और व्यय की धीमी गति के कारण वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(e) "Prime Minister Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission (PM-ABHIM)" - saving of ₹8414.46 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11450.00 lakhs) was due to non-availability of projects/proposals, less procurement of equipments and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to slow pace of expenditure.

(III) मुख्य शीर्ष "4216" – "सरकारी आवासीय भवन अन्य आवासन सफ़दरजंग अस्पताल, नई दिल्ली" – ₹512.94 लाख की बचत (₹2525.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निधियों का उपयोग नही इए जाने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "4216" - "Government Residential Buildings - Other Housing - Safdarjung Hospital, New Delhi" - saving of ₹512.94 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2525.00 lakhs) was due to non-utilisation of funds by Central Public Works Department.

(V) सात शीर्षों के अंतर्गत ₹2620.48 लाख की बचत हुई जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक थी किंतु ₹500 लाख से कम थी और स्वीकृत प्रावधान का 48 से 98 प्रतिशत तक थीं।

(V) Under seven heads savings of ₹2620.48 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 48 percent to 98 percent of the sanctioned provision.

4. उपर्युक्त बचतें आंशिक रूप से (₹2361.00 लाख) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान बढाने के लिए प्रयुक्त हो गईं जैसा कि दिसम्बर, 2023 और फ़रवरी, 2024 में मुख्य शीर्ष "4210" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत ₹2.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

4. The above savings were partly (₹2361.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹2.00 lakhs in December, 2023 and February, 2024 under Major Head "4210" - under the following heads:-

(I) "शहरी स्वास्थ्य सेवायें – अस्पताल और डिस्पेंसरियां – सफ़दरजंग अस्पताल, नई दिल्ली" – ₹1462.50 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹1269.56 लाख हुआ।

(I) "Urban Health Services - Hospital and Dispensaries - Safdarjung Hospital, New Delhi" - ₹1462.50 lakhs. Actual excess, however, was ₹1269.56 lakhs.

(II) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान – एलोपैथी – डा. आर. एम. एल. पी. जी. इंस्टीट्यूट ऑफ़ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विज्ञान संस्थान), नई दिल्ली" – ₹898.50 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹861.74 लाख हुआ।

(II) "Medical Education, Training and Research - Allopathy - Dr. R.M.L. P.G. Institute of Medical Education and Research (Atal Bihari Vajpayee Institute of Medical Sciences), New Delhi" - ₹898.50 lakhs. Actual excess, however, was ₹861.74 lakhs.

5. *प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि (पी. एम. एस. एस. एन.):—*

सरकार की गुणवत्ता पूर्ण स्वास्थ्य सेवायें और सार्वभौमिकृत गुणवत्ता युक्त मौलिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा प्रदान करने और और उसके वित्त पोषण के लिए प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए वित्तीय लेखे 2018 की धारा 2(13) में 4 प्रतिशत की दर से आयकर पर स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर लगाने का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय सरकार ने मंत्रिमंडल के निर्णय सं. II/सी. एम. /2021(i) मंत्रिमंडल सचिवालय दिनांक 12.3.2021 के तहत गैर व्यपगत निधि के रूप में सार्वजनिक लेखे में 'प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि' का गठन किया है।

स्वास्थ्य (पी. एम. एस. एस. एन) के अंतर्गत स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर से प्राप्तियों क वितरण कुल प्राप्तियों का 25% (स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर के 4% में से 1% के समतुल्य) है। स्वास्थ्य उपकर से प्राप्तियों मंत्रालय द्वारा चिह्नित योजनाओं/कार्यक्रमों का वित्त पोषण किया जायेगा और तदनुसार, इन योजनाओं के तहत डि. डी. जी. में उपयुक्त प्रावधान किया जायेगा।

स्वास्थ्य उपकर का हिस्सा सार्वजनिक लेखा के गैर ब्यज वाले भाग के माध्यम से दिया जायेगा जिसमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित भाग भी अंतरित किया जायेगा।

प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि (पी. एम. एस. एस. एन.) का वर्ष 2023–24 का लेखा इस प्रकार था:—

5. *Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Nidhi (PMSSN):-*

To fulfill the commitment of Government to provide and finance quality health services and universalized quality basic education and Secondary and Higher Education, Section 2 (13) of Finance Account 2018 provide for levying of Health and Education Cess on income tax at the rate of 4 percent. The Central Government constituted the 'Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Nidhi' as a single non-lapsable fund in the Public Account vide Cabinet decision No. 11/CM/2021(i) dated 12/03/2021 of Cabinet Secretariat.

The distribution of proceeds from Health and Education Cess under Health (PMSSN) is 25% of total proceeds (equivalent to 1% out of 4% of Health & Education Cess). The proceeds from Health Cess will finance the schemes/programmes identified by the Ministry and accordingly suitable provisions will be made in the DDG under the schemes.

The share of Health Cess will be routed through non-interest bearing section of Public Account into which the portion relating to Ministry of Health and Family Welfare will be transferred.

The Account of Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Nidhi (PMSSN) for 2023-24 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	शून्य Nil
प्राप्तियां	Receipt	13776,63,33
अदायगियां	Payments	9276,63,33
अंतशेष	Closing Balance	4500,00,00